

June 13, 2024

## **Online intimation/submission**

The Secretary BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400 001 Security Code: 505200

The Secretary National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400 051 Symbol: EICHERMOT

## Ref: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

## Subject: Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today i.e. June 13, 2024, in Business Standard, English (All Editions) and Business Standard, Hindi (New Delhi Edition), in connection with proposed transfer of shares of the Company on which period of seven consecutive years for dividend remaining unpaid or unclaimed is being completed, to the Investor Education and Protection Fund Authority, pursuant to the provisions of Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you, For **Eicher Motors Limited** 

Atul Sharma Company Secretary

Encl.: As above





पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फुलोर–सिलेक्ट सिटीवॉक, ए–3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 फोन : +91 11 41095173 कार्पोरेट कार्यालय : #96. सेक्टर–32. गरुग्राम–122001. हरियाणा

फोन : +91 124 4445070 इंग्लेल : investors@eichermotors.com बेबसाइट :www.eichermotors.com

## सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा–परीक्षण, हस्तांतरण एवं प्रतिभुगतान) नियमावली, 2016, संशोधितानुसार ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में, वे सभी शेयर जिनके संदर्भ में विगत सात निरंतर वर्षों अथवा अधिक अवधि हेतु लामांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है, उन्हें आयशर मोटर्स विमिटेड ("कम्पनी") द्वारा अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के नाम में हरतांतरित किया जाना अपेक्षित है।

आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में ऐसे शेयर्स के हस्तांतरण की अगली नियत तिथि, जिन पर भुगतान नहीं किए गए अथवा भुगतान के लिए बिना दावे के शेष लाभांश के सात निरंतर वर्ष पूरे हो रहे हैं, 14 सितम्बर, 2024 है। शेयर्स का हस्तांतरण नियत तिथि से तीस दिनों की एक अवधि के अंदर होगा।

ऐसे शेयर्स के मामले में, जो कि भौतिक रूप में धारित हैं, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उददेश्य हेतु नवीन शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएंगे।

इस संबंध में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित की जा रही है। ऐसे शेयरधारकों के विवरण उनकी फोलियो नंबर / डीपी आईडी—क्लाइंट आईडी के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com पर ''इन्वेस्टर्स'' संवशन के अत्तर्गत उपलब्ध हैं। यदि कोई शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में अपने शेयर्स का इस्तांतरण रोकना चाहता है, तो ऐसे शेयरधारक से अनुरोध है कि वह कम्पनी से अपने इस्तांतरण रोकना चाहता है, तो ऐसे शेयरधारक से अनुरोध है कि वह कम्पनी से अपने भुगतान नहीं हुए अथवा भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लामांश हेतु अपना दावा 14 सितम्बर, 2024 को अथवा इससे पूर्व करे। वह विधि जिसके अंतर्गत कोई शेयरधारक भुगतान नहीं हुए / भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लामांश के लिए दावा कर सकता है, वह उस व्यक्तिगत रूप से प्रेषित सूचना के अन्तर्गत उपलब्ध है, जो शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है, जोकि कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि उक्त समयावधि के अंदर तथा व्यक्तिगत पत्र—व्यवहार के अन्तर्गत उपलब्ध विधि के तहत संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्र—व्यवहार प्राप्त नहीं होता है, तो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली के अनुपालन के अंतर्गत संबंधित शेयर्स का हस्तांतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में कर देगी।

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर / भुगतान नहीं हुए लामांश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए हैं, वह वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्रपन्न आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा करके, कम्पनी को इसकी प्रति प्रेषित करते हुए, अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर्स / लामांश का दावा कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कम्पनी द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार तथा अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा नियमावली का पूर्ण संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.eichermotors.com</u> पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः एनएसई–<u>www.nseindia.com</u> और बीएसई–<u>www.bseindia.com</u> पर भी लपलबध है।

वास्ते आयशर मोटर्स लिमिटेड हस्ता./-

**तिथि**ः 12 जून, 2024 **स्थान**ः गुरूग्राम्, हरियाणा